प्रेस विज्ञप्ति
29-02-2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद सब-जोनल कार्यालय ने उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के भदोही निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पूर्व एमएलसी श्रीमती राम लाली मिश्रा की लाभकारी स्वामित्व वाली 11.07 करोड़ रुपए की 01 अचल संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्ति वाणिज्यिक प्रकृति की है और जसोला, नई दिल्ली में स्थित है।

ईडी ने सतर्कता विभाग द्वारा पुलिस स्टेशन हंडिया, प्रयागराज में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विजय मिश्रा, पूर्व विधायक और उनकी पत्नी श्रीमती राम लाली मिश्रा, पूर्व एमएलसी के खिलाफ जन सेवक के रूप में काम करते हुए चल और अचल संपत्ति के रूप में 36.07 करोड़ रुपए से अधिक की असंगत संपत्ति अर्जित करने पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दिनांक 14/07/2023 और 26/07/2023 को आरोप पत्र दायर किया गया। यह संपत्ति परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और कागजी कंपनियों के संयुक्त नाम के तहत वर्ष 2010 में कई कागजी संस्थाओं के माध्यम से धन को छुपाने और शोधन के माध्यम से खरीदी गई थी।

ईडी की जांच में पता चला कि विजय मिश्रा एसपी भदोही के कार्यालय में पूर्वापराधी रहा है और माफिया गिरोह चलाता है। विजय मिश्रा पिछले 4 दशकों से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा हैं और धोखाधड़ी, हत्या आदि से संबंधित गंभीर अपराधों के लिए उनके खिलाफ 73 एफआईआर दर्ज हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

****